दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>रि.या. (सि) 1364/2013 और सि.वि.आ 6324/2013</u>

निर्णय तिथि: <u>16.01.2014</u>

<u>इस मामले में:</u>

मोहम्मद आशिक़ियन कुरैशी ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एम.एम. कश्यप, अधिवक्ता

बनाम

अपने अध्यक्ष के माध्यम से डी.डी.ए. व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: प्रत्यर्थी-1/डी. डी. ए. की ओर से श्री राजीव बंसल, अधिवक्ता सह श्री डी. राय चौधरी, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी-2/एस.डी.एम.सी. की ओर से श्री जी. डी. मिश्रा, अधिवक्ता।
सि.वि.आ. 6324/2013 में आवेदक की ओर से सुश्री मुमताज अहमद और श्री बृज लाल, अधिवक्तागण।

कोरम

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली

<u>न्या. हिमा कोहली,</u> (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण सं.1 से 3 को निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है कि वे सभी व्यक्तियों को गेट नंबर 7, अलकनंदा अपार्टमेंट, अलकनंदा, नई दिल्ली के पास मदीनी मस्जिद के सामने अपनी कारें पार्क करने से रोकें, और इसके अलावा, कथित रूप से अवैध तरीके से और संबंधित अधिकारियों से कोई अनुमति प्राप्त किए बिना बनाई गई चारदीवारी को हटाने के लिए कदम उठाएं।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता जो कालकाजी का निवासी है, एक नमाजी है और पिछले कई वर्षों से मदीनी मस्जिद में *नमाज* अदा करता रहा है, लेकिन मस्जिद के पास अवैध रूप से पार्क की गई कारों के कारण, उसका और हजारों अन्य नमाजियों का मस्जिद में प्रवेश और निकास बाधित हो रहा है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मस्जिद के सामने खुले प्रांगण में अवैध रूप से कारें पार्क की जा रही हैं, जो वास्तव में कार पार्किंग के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के पास एक अनधिकृत दीवार बनाई गई है, जिसे हटाया जाना चाहिए क्योंकि आस-पास के इलाकों से हजारों नमाजी जो संबंधित मस्जिद में आते हैं, उन्हें जगह की कमी के कारण नमाज अदा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, वर्तमान याचिका।

3. प्रत्यर्थी सं.1/डीडीए द्वारा रिट याचिका के विरोध में एक शपथपत्र दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहतें एक सिविल वाद का विषय हैं जिसे मदनी मस्जिद और दरगाह की स्थानीय प्रबंध समिति द्वारा स्थापित किया गया है और यह वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, साकेत की न्यायालय में अधिनिर्णयन हेतु लंबित है। **ले.पे.अ. सं. 535-43/2006** अर्थात् अरावली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम डीडीए व अन्य में खंड न्यायपीठ बेंच द्वारा दिनांक 19.01.2009 को एक आदेश पारित किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी सं.1/डीडीए के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उक्त वाद मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा 04.10.2010 को शुरू किया गया था।

4. खंड न्यायपीठ के उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मामले में न्यायालय अपीलार्थीगण/आरडब्लूए द्वारा प्रस्तुत इस आशय के निवेदनों पर विचार कर रहा था कि मस्जिद स्वयं एक अनधिकृत निर्माण है तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण है। हालांकि, पक्षकारगण की सुनवाई के पश्चात खंड न्यायपीठ ने यह राय व्यक्त की थी कि विचार के लिए अनेक तथ्यात्मक विवाद उठाए गए थे, जिनका रिट कार्यवाही में निर्धारण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी। तथ्यों के उक्त विवादित प्रश्नों में यह शामिल था कि क्या विचाराधीन मस्जिद किसी विशेष तिथि को उस स्थान पर विद्यमान थी तथा वह

किस अवस्था में आई थी। उपरोक्त निर्णय में उल्लिखित तथ्यों के अन्य विवादित प्रश्नों में मुस्लिम जनता अंजुमन नामक इकाई की स्थिति तथा खंड न्यायपीठ के समक्ष पक्षकारगण के बीच किसी समझौते का प्रस्ताव करने की उसकी क्षमता शामिल थी। उपरोक्त निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में, खंड न्यायपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

> "12. हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि मस्जिद एक विशेष क्षेत्र में मौजूद है। नमाज़ियों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का अधिकार है, जो कि सिविल कार्यवाही में अंतिम प्रश्न के निर्धारण के अधीन है। वक्फ बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वे कानून के अनुसार उपयुक्त निर्माण करके मस्जिद के परिसर में बड़ी संख्या में नमाज़ियों को समायोजित करने की व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे। यह निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड को करना है।
>
> 13. नमाज़ियों के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि वे गलियों और उप-मार्गों में फैल जाएँ और मस्जिद के परिसर से बाहर के क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लें। इसलिए नमाज़ मस्जिद की सीमा के भीतर ही अदा की जानी चाहिए। इससे निश्चित रूप से मस्जिद में नमाज़ियों की संख्या सीमित हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्र स्वयं सीमित है। यह वक्फ बोर्ड या संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे इस बात पर विचार करें कि इस क्षेत्र का किस तरह से बेहतर उपयोग किया जा सकता है, ताकि अधिक संख्या में नमाजियों को नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सके, लेकिन इसे मस्जिद के क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

14. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि समय-समय पर पुलिस अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए। पुलिस आयुक्त को प्रत्यर्थी सं.3 के रूप में शामिल किया गया है और उनका प्रतिनिधित्व एक अधिवक्ता द्वारा किया गया है। यह सुनिश्चित करना पुलिस प्राधिकरण का कर्तव्य है कि भूमि के कानून का पालन किया जाए और कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मस्जिद की सीमा से परे के क्षेत्र को आवंटियों और क्षेत्र के निवासियों के लिए साफ रखा जाए और इसका उपयोग आवागमन के अधिकार के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए न किया जाए।"

5. प्रत्यर्थी सं. 1/डीडीए के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपील में उपरोक्त निर्णय पारित होने के पश्चात मस्जिद की स्थानीय प्रबंध समिति ने स्थायी एवं अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत के लिए सिविल वाद दायर किया था, जो वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत के समान है। वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतों को आसान संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"(i) प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 3 को निर्देश दिया जाए कि वे मदीनी मस्जिद, गेट सं. 7 के पास, अलकनंदा अपार्टमेंट, अलकनंदा, नई दिल्ली के सामने अवैध रूप से कार पार्क करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए कदम उठाएं।

(ii) प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को निर्देश दिया जाए कि वे बिना किसी प्राधिकरण की अनुमति के कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रांगण की सीमा पर खड़ी की गई अवैध दीवार को हटाने के लिए कदम उठाएं।

(iii) प्रत्यर्थी सं. 3 को निर्देश दिया जाए कि वे अवैध रूप से पार्क की गई कारों को जब्त करें, ताकि कोई भी कार पार्क न की जा सके।

(iv) ऐसे अन्य आदेश/आदेश पारित करें जिन्हें यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और यथोचित समझे।"

6. मस्जिद की स्थानीय प्रबंध समिति द्वारा उसके द्वारा दायर सिविल वाद में मांगी गई राहतें नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:-

"(i) अरावली अपार्टमेंट, अलकनंदा, कालकाजी, नई दिल्ली के फ्लैटों में अवैध रूप से किए गए जोड़ और परिवर्तन तथा अनधिकृत निर्माण को समाप्त करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरुद्ध अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री पारित करें, जिससे वादी और नमाज के लिए क्षेत्र के अन्य निवासियों को बहुत कठिनाई हुई।

(ii) प्रतिवादी सं.2 के विरुद्ध अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री पारित करें, ताकि उन फ्लैट धारकों का पट्टा रद्द किया जा सके, जिन्होंने अपने फ्लैटों में वृद्धि और परिवर्तन तथा अतिरिक्त फ्लैट बनाए हैं और अवैध निर्माण किया है।

(iii) प्रतिवादी सं.1 से 3 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री पारित करें, जिसमें उन्हें मस्जिद की सीमा में अपने वाहन पार्क करने से रोका जाए।

(iv) न्याय के हित में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध ऐसे अन्य या आगे के आदेश पारित किए जाने चाहिए।

7. जब वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतों को मस्जिद की स्थानीय प्रबंध समिति द्वारा सिविल वाद में मांगी गई राहतों के साथ जोड़ दिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि शिकायत में दी गई राहत (iii) वर्तमान याचिका में मांगी गई राहतों (i) और (iii) के लगभग समान ही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिविल न्यायालय वर्तमान याचिका में उठाए जा रहे मुद्दे पर विचार कर रहा है और वह भी मस्जिद की स्थानीय प्रबंध समिति द्वारा दायर वाद में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना खंड (i) और (iii) में मांगी गई राहत पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना खंड (ii) में मांगी गई राहत पर आते हुए, जो मस्जिद के बाहर खड़ी की गई अवैध दीवार को हटाने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश जारी करने के लिए है, याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई तस्वीरों का अवलोकन, विशेष रूप से पृष्ठ 21 पर, यह दर्शाता है कि यह केवल एक पैर की दीवार है जिसकी ऊंचाई लगभग डेढ़/दो फीट है। इतनी ऊंचाई की दीवार को याचिकाकर्ता द्वारा मस्जिद तक स्वतंत्र पहुंच के लिए बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है। जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन का सवाल है कि अरावली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, अलकनंदा की चारदीवारी के साथ लगाई गई ग्रिल एक बाधा है, प्रत्यर्थी सं.1/डीडीए के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों

पर कहा है कि यह सत्रह गेट वाली एक गेटेड कॉलोनी है और डीडीए के कहने पर क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी का निर्माण किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्य को विवादित बताया है।

9. इस न्यायालय की राय में, मस्जिद में नमाजियों के प्रवेश और निकास में बाधा के रूप में उक्त चारदीवारी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि वाहनों और पैदल यातायात को नियंत्रित करने के लिए उक्त चारदीवारी पर दो गेट लगाए गए हैं। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता मस्जिद में मुफ्त पहुंच चाहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि गेट वाली कॉलोनी में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं.1/डीडीए के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि विचाराधीन चारदीवारी अवैध रूप से नहीं बनाई गई है। इसलिए, इसे हटाने के लिए कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय याचिका के प्रार्थना खंड (ii) के संबंध में कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार करती है। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई शेष राहतों के लिए, चूंकि उक्त मुद्दा मस्जिद की स्थानीय प्रबंध समिति द्वारा ले.पे.अ. सं. 535-43/2006 में खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में शुरू किए गए वाद में सिविल न्यायालय के सक्रिय विचाराधीन है, याचिकाकर्ता को उक्त वाद में निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

11. तदनुसार, याचिका का लंबित आवेदन के सहित निपटान किया जाता है।

(हिमा कोहली)
न्यायाधीश

16 जनवरी, 2014
आरकेबी/एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*